

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2016 का आपराधिक आवेदन (एकल पीठ) सं. 805
में

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 139

थाना कांड संख्या 329 वर्ष 2009 थाना- बिहटा, जिला- पटना से उत्पन्न

=====

कमल नय्यन सिंह, पुत्र- स्वर्गीय राम नरेश सिंह, निवासी- गाँव-बाबाहन लाई, पुलिस
थाना- बिहटा, जिला पटना

.....अपीलार्थी

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. चंदन सिंह, पुत्र- राज देव सिंह, निवासी- गाँव-कटारी, पुलिस थाना-रानी तालाब, जिला-
पटना।
3. मुनमुन देवी, पत्नी- अमरेंद्र सिंह, निवासी- गाँव-बाबाहन लाई, पुलिस थाना-बिहटा, जिला
पटना

.....उत्तरदाताओं

=====

के साथ

2016 का आपराधिक आवेदन (एकल पीठ) सं. 746

थाना कांड संख्या 329 वर्ष 2009 थाना- बिहटा, जिला- पटना से उत्पन्न

=====

1. जयमंगल सिंह @ मंगल सिंह पुत्र-राजदेव सिंह, निवासी- गाँव-कटारी, थाना-रानी तालाब,
जिला पटना।
2. अमरेंद्र सिंह, पुत्र- कमलेश सिंह,
3. कमलेश सिंह, पुत्र- स्वर्गीय राम नरेश सिंह

पुत्र 2 और 3 दोनों निवासी-गाँव-बभन लाई, थाना- बिहटा, जिला-पटना।

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/गण

=====

उपस्थिति:

(आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 139/2017)

अपीलार्थी/यों के लिए : श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री बिपिन कुमार, एपीपी

(आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 746/2016)

अपीलार्थी/यों के लिए : श्री लक्ष्मी कांत शर्मा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री अजय मिश्रा, एपीपी

=====

भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 147, 341, 325, 326 और 307-सूचना देने वाला और उसकी पत्नी के साथ आरोपी ने मारपीट की-अभियोजन पक्ष के छह गवाहों से पूछताछ की गई-आरोपियों की ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया है-विद्वान विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को धारा 307, 326 और 147 के तहत तय किए गए आरोप से बरी कर दिया-विद्वान विचारण न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि अन्य तीन आरोपियों को दोषी ठहराया-आरोपी व्यक्ति द्वारा सूचना देने वाला और उसकी पत्नी को मौत का कारण बनाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए, धारा 307 भारतीय दंड संहिता लागू नहीं हुई-आरोपी ने मारपीट के लिए किसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया-विद्वान विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 326 के तहत तय किए गए आरोप से बरी कर दिया-पार्टियों के बीच दुश्मनी थी-विचारण न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तों को बरी करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है-दोनों अपील खारिज; प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के बरी होने को बरकरार रखा गया; आपराधिक अपील संख्या 746/2016 में सभी तीन अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि- सजा का आदेश संशोधित।

(1988) 4 एस.सी.सी. 551; (1981) 1 एस.सी.सी. 107—निर्भर किया गया

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958—अपराधियों को जेल जीवन के हानिकारक प्रभावों के अधीन किए बिना समाज के एक उपयोगी और आत्मनिर्भर सदस्य के रूप में अपराधियों के सुधार और पुनर्वास पर बढ़ते बल को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था—परिवीक्षा पर रिहाई का आदेश अभियुक्त के दोषी पाए जाने के बाद ही पारित किया जा सकता है—अपराधी की परिवीक्षा पर रिहाई का आदेश केवल उस पर लगाए जाने वाले दंड के प्रतिस्थापन में है अदालत।

2007 सीआरआई. एल.जे. 2913; ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 444; ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 398; ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 1120; ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1088; 2001 सीआरआई. एल.जे. 2349 (एस.सी.); ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 3534; ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 35; ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 2522; ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1818—संदर्भित किया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 357 और 357क—पीड़ितों को मुआवजा—न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि वह दोषसिद्ध व्यक्तियों को धारा 357 के तहत मुआवजा देने का निदेश दे सकता है, न्यायालय को धारा 357क के अंतर्गत बनाई गई सरकार की स्कीम के अनुसार पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की सिफारिश करने हेतु धारा 357क का सहारा लेने का अधिकार दिया गया।

(पैरा 64)

2024 SCC ऑनलाइन पटना 960—निर्भर किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

तारीख : 30-04-2024

दोनों अपीलें 2011 के सत्र परीक्षण संख्या 1517 वाले एक ही मुकदमे से उत्पन्न होती हैं। इसलिए, उन्हें निपटान के लिए एक साथ लिया जाता है।

2. दोनों अपीलें विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश VII दानापुर, पटना द्वारा बिहटा थाना कांड संख्या 329/2009 से उत्पन्न दिनांक 05.09.2016 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके तहत दो अभियुक्तों, मुनमुन देवी और चंदन सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है, जबकि अमरेंद्र सिंह और जयमंगल सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 325 के तहत दोषी ठहराया गया है, जबकि कमलेश सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 323 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है। दिनांक 05.09.2016 के सजा आदेश द्वारा अपीलार्थी अमरेन्द्र सिंह एवं जयमंगल सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अन्तर्गत सात-सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छः माह का अतिरिक्त कठोर कारावास तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 के अन्तर्गत एक माह का साधारण कारावास एवं 500/- रुपये का

जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में पन्द्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी गयी है। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है। अपीलार्थी कमलेश सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत एक वर्ष का साधारण कारावास तथा 1000/- रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अंतर्गत एक माह का साधारण कारावास तथा 500/- रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर पन्द्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

3. बिहटा थाना कांड संख्या 329/2009 दिनांक 26.12.2009 की प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 341 323, 325 और 307 के तहत सभी पांच आरोपियों अमरेंद्र सिंह, मुनमुन देवी, कमलेश सिंह, मंगल सिंह और चंदन सिंह के खिलाफ दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई थी, जिसे कमल नयन सिंह नामक व्यक्ति के फर्द बयान पर बिहटा थाना के एस.आई एस.के शर्मा ने 26.12.2009 को 14-15:00 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिहटा में दर्ज किया था।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा दर्ज प्रकरण में यह तथ्य सामने आया है कि दिनांक 26.12.2009 को दोपहर 12:00 बजे सूचक कमल नयन सिंह अपने घर के सामने धूप सेंकने के लिए बैठे थे। तभी अचानक आरोपी अमरेन्द्र सिंह, मुनमुन देवी, कमलेश सिंह, मंगल सिंह एवं चंदन सिंह लाठी एवं गदासा लेकर उनके पास पहुंचे तथा जान मारने की नीयत से उन पर बार-बार प्रहार करने लगे। इसी बीच जब उनकी पत्नी धर्मशीला देवी उन्हें बचाने के लिए आयीं तो उन पर भी हमला कर दिया गया, जिससे उनका दाहिना पैर

एवं बायां हाथ बुरी तरह टूट गया। शोरगुल होने पर जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो आरोपीगण भाग गये। घटना का कारण मकान एवं जमीन को लेकर पूर्व से चला आ रहा विवाद है।

5. जांच के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 341, 325, 326 और 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सभी पांच एफआईआर नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 98/2010 दिनांक 26.04.2010 दायर किया गया था। इसके बाद, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। सभी आरोपित आरोपियों अर्थात् अमरेंद्र सिंह, मुनमुन देवी, कमलेश सिंह, मंगल सिंह और चंदन सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 341, 325, 326, 307 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप तय किए गए थे।

6. मुकदमे के दौरान, निम्नलिखित छह गवाहों से पूछताछ की गई है:-

- (i) पीडब्लू-1- धर्मेन्द्र शर्मा।
- (ii) पीडब्लू-2- धर्मशाला देवी-जो मुखबिर की पत्नी हैं।
- (iii) पीडब्लू- 3-कमल नयान सिंह-जो सूचना देने वाला है।
- (iv) पीडब्लू- 4-डॉ. रमेश प्रसाद सिंह।
- (v) पीडब्लू-5- सुरेंद्र कुमार शर्मा जो जाँच अधिकारी हैं।
- (vi) पीडब्लू-6- डॉ. प्रमोद कुमार सिंह।

7. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी दर्ज किए हैं:-

- (i) प्रदर्श 1- कमल नयन सिंह की चोट की रिपोर्ट।
- (ii) प्रदर्श 1/1- कमल नयन सिंह की पूरक चोट रिपोर्ट।
- (iii) प्रदर्श 2- धर्मशाला देवी की चोट की रिपोर्ट।

(iv) प्रदर्श 2/1- धर्मशाला देवी की पूरक चोट रिपोर्ट।

(v) प्रदर्श 3- फरदेबायन।

(vi) प्रदर्श 4- कमल नयन सिंह की चोट के बारे में पत्र।

(vii) प्रदर्श 4/1-धर्मशाला देवी की चोट के बारे में पत्र।

(viii) प्रदर्श 5- औपचारिक एफ. आई. आर.

(ix) प्रदर्श 6-आरोप-पत्र।

(x) प्रदर्श 7- डिस्चार्ज स्लिप पर डॉक्टर के हस्ताक्षर।

(xi) प्रदर्श 8- दवा पर्ची।

(xii) प्रदर्श 9 से 9/बी-कमल नयन सिंह की एक्स-रे रिपोर्ट।

(xiii) प्रदर्श 10 से 10/ए-धर्मशाला देवी की एक्स-रे रिपोर्ट।

8. अभियोजन पक्ष ने पहचान के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भी रिकॉर्ड में लाए हैं।

(i) प्रदर्श एक्स से एक्स/30- धर्मशाला देवी की चिकित्सा पर्ची।

(ii) प्रदर्श वाई से वाई/29- कमल नयन सिंह की चिकित्सा पर्ची।

9. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित सामग्री प्रदर्शनों को भी रिकॉर्ड में लाया है:-

(i) प्रदर्श आई से आई/वी- धर्मशाला देवी की एक्स-रे प्लेट।

(ii) प्रदर्श II से II/XXI- कमल नयन सिंह की एक्स-रे प्लेट।

10. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के बाद, आरोपी अपीलकर्ताओं से धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछताछ की गई और सभी अपराध परिस्थितियों का सामना किया गया ताकि वे उन्हें समझा सकें।

11. बचाव पक्ष की ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

12. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की सराहना करने और पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, विवादित फैसला और सजा का आदेश पारित किया। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, चोटों की प्रकृति और आरोपियों की ओर से अपेक्षित इरादे की कमी को देखते हुए किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध नहीं बनता है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत आरोप पीड़ितों के शरीर पर चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए साधनों की प्रकृति के मद्देनजर साबित नहीं हुआ है, यह मानते हुए कि धारा 326 के तहत दंडनीय अपराध के लिए, अभियुक्त द्वारा खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया जाना आवश्यक है, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार ऐसा नहीं है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने आगे पाया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326 और 147 के तहत लगाए गए आरोपों से सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

13. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आगे पाया कि मुनमुन देवी और चंदन सिंह नामक दो आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। इसलिए, इन दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूतों के अभाव में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

14. हालांकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अमरेंद्र सिंह और जयमंगल सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और 341 के तहत उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने कमलेश सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 323

और 341 के तहत भी दोषी ठहराया। अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत लाभ देने के लिए दोषियों की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया और तदनुसार उन्हें सजा सुनाई गई।

15. हालांकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट दोषियों द्वारा किए गए अपराध के पीड़ितों के बारे में निष्कर्ष देने में विफल रहा है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 या धारा 357 ए के तहत अपराध के पीड़ितों को मुआवजे के संबंध में कोई आदेश पारित करने में भी विफल रहा।

16. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान एपीपी को सुना।

17. आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 139/2017, सूचक कमल नयन सिंह द्वारा मुनमुन देवी और चंदन सिंह को बरी किए जाने के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जबकि आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 746/2016, अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

18. आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 139/2017 में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया है और मुनमुन देवी और चंदन सिंह को गलत तरीके से बरी कर दिया है। आरोपी मुनमुन देवी और चंदन सिंह को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट को पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी पारित करना चाहिए था।

19. आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 746/2016 में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से दोषी ठहराया है। अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में भौतिक विरोधाभास है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट यह समझने में विफल रहा कि भूमि विवाद के कारण अपीलकर्ताओं और सूचनाकर्ता के बीच पिछली दुश्मनी के कारण, अपीलकर्ताओं को सूचनाकर्ता द्वारा झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सबूतों के एक ही सेट के साथ, दो आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था, लेकिन अपीलकर्ताओं को वही लाभ नहीं दिया गया है। इसलिए, अपीलकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाना चाहिए था या कम से कम अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत लाभ दिया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा घायलों को मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ अपराध नहीं किया है।

20. हमने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक सामग्रियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर ईमानदारी से विचार किया। इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:

- (i) क्या मुनमुन देवी और चंदन सिंह को सभी आरोपों से बरी करना कानून की नज़र में सही है।
- (ii) क्या आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 746/2016 के अपीलकर्ताओं की सजा कानून की नज़र में टिकने योग्य है।
- (iii) क्या दोषियों को कानून के अनुसार उचित सजा दी जाती है।

(iv) क्या आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 746/2016 के अपीलकर्ता दोषी अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ पाने के हकदार हैं।

(v) अपराध के पीड़ित कौन हैं और क्या वे किसी मुआवजे के हकदार हैं, यदि हां, तो कितनी राशि और किससे।

21. अभिलेख पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर आते हुए, हम पाते हैं कि **P.W.-**

3, जो मुखबिर है और **P.W.-2**, धर्मशीला देवी, जो मुखबिर की पत्नी है, कथित घटना की चश्मदीद गवाह है।

22. P.W.-4,5 और 6 आधिकारिक गवाह हैं। पी. डब्ल्यू.-4, डॉ. रमेश प्रसाद सिंह एक डॉक्टर हैं जिन्होंने सूचना देने वाले व्यक्ति और उनकी पत्नी धर्मशाला देवी की चोट की जांच की थी। पी. डब्ल्यू. 5 मामले के जांच अधिकारी हैं और पी. डब्ल्यू. 6 भी एक डॉक्टर हैं, जो कंकड़बाग के अप्पोलो ट्रॉमा सेंटर में काम करते हैं, जहाँ मुखबिर और उसकी पत्नी का इलाज हुआ था। पीडब्लू 1 भी चश्मदीद गवाह नहीं है।

23. हम पाते हैं कि फरदबेयान के अनुसार, अभियुक्त व्यक्ति लाठी और गदा के साथ घटना स्थल पर आए थे। लेकिन किसी भी आरोपी द्वारा किसी भी छड़ को ले जाने का कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी अभियुक्त के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, आरोप सर्वव्यापी प्रकृति का है। फरदबेयान के अनुसार, डंडा और गरसा से लैस आरोपी व्यक्ति मुखबिर के पास आए और उस पर हमला करना शुरू कर दिया और जब उसकी पत्नी, पी. डब्ल्यू. 2 धर्मशाला देवी उसे बचाने के लिए घटना स्थल पर आई, तो वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका दाहिना पैर और बायां हाथ टूट गया और जब गांव वाले शोर मचाने पर आए तो आरोपी भाग गए।

24. सूचक की जांच पी.डब्लू.-3 के रूप में की गई है। अपने मुख्य परीक्षण में उसने यह बयान देकर अभियोजन पक्ष के मामले को कुछ हद तक विकसित किया है कि अभियुक्त अमरेन्द्र सिंह अपने हाथ में रॉड लिए हुए था और उसने उसके सिर पर वार किया जिससे उसकी हड्डी टूट गई। अमरेन्द्र सिंह ने उसके दांतों पर भी वार किया जिससे उसके तीन दांत टूट गए। उसने यह भी बयान दिया है कि जयमंगल सिंह गड़ासा लिए हुए था और उसने उसके पैरों और हाथों पर वार किया लेकिन गड़ासा के नुकीले हिस्से से नहीं बल्कि उसके पिछले हिस्से से, जिससे उसके पैर और हाथ टूट गए। कमलेश सिंह डंडा लिए हुए था और उसने उसका बायां हाथ तोड़ दिया। मुनमुन देवी और चंदन सिंह ने भी उस पर डंडे से हमला किया। जब उसकी पत्नी धर्मशीला देवी आई तो उस पर भी अमरेन्द्र सिंह, मुनमुन देवी, कमलेश सिंह, चंदन सिंह और मंगल सिंह ने हमला किया। उसका दाहिना हाथ और बायां पैर टूट गया था और जब गांव वाले आए तो सभी आरोपी भाग गए। घटना के बाद यह गवाह अपनी पत्नी के साथ इलाज के लिए रेफरल अस्पताल, बिहटा गया और उसका बयान भी बिहटा पुलिस ने दर्ज किया। इसके बाद वे बेहतर इलाज के लिए सैन्य अस्पताल, दानापुर गए। फिर वे बेहतर इलाज के लिए अपोलो अस्पताल, कंकड़बाग गए। इस अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी उनका इलाज छह महीने तक आउटडोर मरीज के रूप में जारी रहा। जिरह में उसने यह बयान दिया है कि सभी आरोपी परिवार के सदस्य हैं और घटना जमीन विवाद और बंटवारे के कारण हुई है और सूचक और आरोपियों के बीच आपराधिक मामले भी चल रहे हैं।

25. सूचक की पत्नी धर्मशीला देवी, जो कथित घटना में घायल है, से पी.डब्लू. 2 के रूप में पूछताछ की गई है। अपनी मुख्य जांच में उसने यह बयान दिया है कि अभियुक्त कमलेश डंडा लिए हुए था और अभियुक्त अमरेन्द्र रॉड लिए हुए था, जयमंगल

फरसा लिए हुए था और मुनमुन देवी और चंदन सिंह अपने हाथों में डंडा लिए हुए थे और उन्होंने सूचक के दोनों हाथ और पैर तोड़ दिए। अभियुक्त अमरेन्द्र ने सूचक के सिर और मुंह पर हमला किया, जिससे उसका सिर फ्रैक्चर हो गया और उसके दांत टूट गए और होठ फट गए। अमरेन्द्र सिंह ने उसका बायां पैर और दायां हाथ भी तोड़ दिया। सूचक और यह गवाह दोनों ही रेफरल अस्पताल, बिहटा गए, जहां उन्हें रात में भर्ती कराया गया और उसके बाद वे इलाज के लिए अपोलो अस्पताल गए और एक महीने तक वहां भर्ती रहे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें एक साल तक आउटडोर इलाज भी मिला। घटना जमीन विवाद के कारण हुई थी तथा अभियुक्तगण और सूचक के बीच बंटवारे को लेकर सिविल मुकदमा चल रहा है तथा मुनमुन देवी द्वारा सूचक के विरुद्ध बिहटा थाने में एक आपराधिक मामला भी दर्ज कराया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। अमरेन्द्र सिंह ने भी उसके पति के विरुद्ध झूठा आपराधिक मामला दर्ज कराया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। यहां तक कि उसके पति/सूचक ने भी अभियुक्तगण के विरुद्ध मारपीट का एक मामला दर्ज कराया है।

26. पी.डब्लू. 4 एक चिकित्सा अधिकारी है, जिसने 26.12.2009 को पी.एच.सी. बिहटा में घायल सूचक और उसकी पत्नी का इलाज किया था और उसने सूचक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई हैं:

- "(1) दाहिने निचले पैर पर 4"x2"x1" का फटा हुआ घाव,
- (2) बाएं टखने पर 3"x2"x1" की सूजन के साथ फटा हुआ घाव,
- (3) सिर के सामने 2"x1/4"x1/4" का फटा हुआ घाव, (4) ऊपरी
- होंठ के ऊपरी बाएँ हिस्से पर 1"x1/4"x1/4" का फटा हुआ घाव,
- (5) ऊपरी जबड़े पर सूजन, (6) दाएँ हथेली पर 3"x1/4"x1/4" का
- फटा हुआ घाव, (7) दाएँ निचले हाथ पर 2"x2"x1/2" की सूजन,
- (8) बाएँ हाथ पर 3"x2"x1" की सूजन, (9) बाएँ निचले हाथ के

नीचे 1"x1/4"x1/4" का फटा हुआ घाव, (10) बाएँ ऊपरी हाथ पर 3"x1"x1" की सूजन। सभी चोटें किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी हैं। चोटों की प्रकृति 1,2,5,7,8 और 9 की राय पी.एम.सी.एच., पटना के लिए सुरक्षित है। चोट संख्या 3, 4, 6, 9 सरल हैं।”

27. पूरक चोट रिपोर्ट के अनुसार, सूचना देने वाले व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटें

पाई गई:

“ए. एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार, फिबुला के फ्रैक्चर शाफ्ट के साथ दाएँ टिबिया के ऊपरी 1/3 भाग में फ्रैक्चर है, जिसमें जगह पर इलिज़ारर फिक्सेटर है।

बी. एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार, निचले शाफ्ट के तीन तरफ से बाएँ फिबुला का फ्रैक्चर है, जो निचले मध्य शाफ्ट पर है, दूसरा निचले शाफ्ट पर है और तीसरा मीडियल मेलस का ऊपरी भाग है।

सी. चोट संख्या 5 के लिए: दंत चिकित्सक की रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल के साथ बाएँ मैक्सिलरी क्षेत्र पर दंत फ्रैक्चर और मोबाइल और बोनी सेगमेंट को हटाने के साथ फ्रैक्चर है।

डी. चोट संख्या 7 के लिए: एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार, प्लेट और स्क्रू के साथ दाएँ अल्ना का निचला 1/3 भाग।

ई. चोट संख्या 8 के लिए: दाहिनी हथेली पर 3"x2"x1" की सूजन।

एफ. चोट संख्या 10 के लिए: एक्स-रे और रिपोर्ट के अनुसार 1/3rd फ्रैक्चर। प्लेट और स्क्रू के साथ बाईं उलना पर। कारण कठोर कुंद पदार्थ। राय: चोट संख्या 1,2,5,7 और 10 गंभीर हैं और चोट संख्या 8 साधारण है।”

28. पी.डब्ल्यू.4 ने उसी दिन पीड़िता धर्मशीला देवी, जो मुखबिर की पत्नी थी, से

भी पूछताछ की थी और उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गई थीं:

"1. दाएं अनामिका के बीच में 1"x1/2"x1/4" का घाव। 2 दाएं अंगूठे पर 1"x1/4"x1/4" का घाव। 3 दाएं ऊपरी हाथ पर 2"x1/2"x1/2" की सूजन। 4 पीठ पर 3"x1/2"x1/2" की सूजन। 5 बाएं घुटने पर 4"x1"x1"। कारण- कठोर कुंद वस्तु। चोटों की प्रकृति: चोट संख्या 1, 2 साधारण हैं, चोट संख्या 3, 4 और 5 राय सुरक्षित। (प्रदर्श 2)।"

29. उसकी पूरक चोट रिपोर्ट के अनुसार, उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गई:

"(ए) चोट संख्या 3 पर - अल्ना प्लेट का फ्रैक्चर शाफ्ट और पेंच अपनी जगह पर। (बी) - चोट संख्या 4 के लिए - पीठ पर 3"x1/2"x1/2" की सूजन। (सी) - चोट संख्या 5 के लिए - एक्स-रे और रिपोर्ट के अनुसार पेटेला फ्रैक्चर और टेंशन बॉन्ड वायरिंग कठोर पदार्थ के कारण। प्रकृति: चोट संख्या 3 और 5 गंभीर हैं। चोट संख्या 4 साधारण है। "

30. उपरोक्त चोटों को विभिन्न दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया गया है, जो कि पी.डब्लू.6 डॉ. प्रमोद कुमार, पूर्व आर्थोपेडिक सर्जन, अपोलो ट्रॉमा सेंटर, कंकड़बाग, पटना द्वारा सिद्ध किए गए हैं। दस्तावेजों को एक्स-रे रिपोर्ट में प्रदर्श 7 से 10/ए और सामग्री प्रदर्श 1 से II/XXI के रूप में चिह्नित किया गया था।

31. पी.डब्लू.-5 श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, मामले के जांच अधिकारी हैं। अपनी जिरह में उन्होंने यह बयान दिया कि उन्होंने धर्मेन्द्र शर्मा, जो इस मामले में पी.डब्लू.-1 हैं, का बयान दर्ज नहीं किया है। उन्होंने यह भी बयान दिया कि धर्मशीला देवी, जो पी.डब्लू.-2 हैं, ने धारा 161 के तहत अपने बयान में यह नहीं कहा कि वह धर्मेन्द्र शर्मा के साथ अपने दरवाजे पर बैठी थीं, बल्कि उन्होंने धर्मेन्द्र शर्मा से कहा कि वह दरवाजे पर बैठी थीं। उन्होंने यह भी बयान दिया कि धर्मशीला देवी ने उनसे यह नहीं कहा कि अमरेन्द्र सिंह

अपने हाथ में रॉड लिए हुए थे और जयमंगल सिंह फरसा लिए हुए थे और चंदन सिंह और मुनमुन देवी डंडा लिए हुए थे, बल्कि उन्होंने कहा कि सभी आरोपी डंडा और गड़ासा लिए हुए थे। उन्होंने यह भी बयान दिया कि धर्मशीला देवी ने उनसे यह नहीं कहा कि अमरेन्द्र सिंह ने रॉड से मुखबिर के सिर पर हमला किया था। उन्होंने आगे कहा कि मुखबिर कमल नयन सिंह ने उनके सामने यह बयान नहीं दिया है कि अमरेन्द्र सिंह हाथ में रॉड लेकर चल रहा था। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि मुनमुन देवी ने उन पर डंडे से हमला किया था।

32. पी.डब्लू.-6 डॉ. प्रमोद कुमार सिंह हैं, जो अपोलो ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर थे और उन्होंने साबित किया है कि मुखबिर और उनकी पत्नी धर्मशीला देवी ने उनके अस्पताल में इलाज कराया है

33. पी.डब्लू.-1 धर्मेन्द्र शर्मा है। लेकिन वह चश्मदीद गवाह नहीं है, क्योंकि पी.डब्लू.-2 धर्मशीला देवी ने पुलिस को यह नहीं बताया है कि वह धर्मेन्द्र शर्मा के साथ अपने दरवाजे पर बैठी थी और शोरगुल सुनकर वह उसके साथ घटनास्थल पर गई थी, जहां सूचक/पति पर हमला किया गया। यहां तक कि पुलिस ने भी धारा 161 के तहत उससे पूछताछ नहीं की। उसने केवल न्यायालय में गवाही दी है।।

34. इस प्रकार, हम पाते हैं कि यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि अभियुक्तगण कोई लोहे की छड़ ले जा रहे थे। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तगण डंडा और गरासा ले जा रहे थे। यहां तक कि गरासा का इस्तेमाल भी उसके तेज किनारे से नहीं किया गया था। स्पष्ट रूप से, हमले की प्रकृति और तरीके से पता चलता है कि अभियुक्तगण की ओर से मुखबिर या उसकी पत्नी को मारने का कोई इरादा

नहीं था। यदि अभियुक्तगण की ओर से ऐसा इरादा होता, तो वे मुखबिर और उसकी पत्नी पर गरासा के पिछले हिस्से से हमला नहीं कर सकते थे और यहां तक कि हमला भी मुखबिर के सिर पर कुछ हमले को छोड़कर मुख्य रूप से शरीर के गैर महत्वपूर्ण हिस्से पर किया गया था। इस प्रकार, मुखबिर और उसकी पत्नी की हत्या करने के इरादे के अभाव में, दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में धारा 307 आईपीसी लागू नहीं होती है।

35. हम आगे पाते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के आवेदन के लिए अभियुक्त द्वारा खतरनाक हथियार का उपयोग करना आवश्यक है, लेकिन खतरनाक हथियारों का ऐसा कोई उपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्तों ने सूचनाकर्ता और उसकी पत्नी को चोट पहुँचाने के लिए डंडा और गड़ासा के पिछले हिस्से का इस्तेमाल किया है। इस प्रकार, दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में धारा 326 भी लागू नहीं होती है।

36. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 226 के तहत लगाए गए आरोपों से सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

37. हमें यह भी लगता है कि निचली अदालत की ओर से कोई गलती नहीं हुई है, जब उसने आरोपी मुनमुन देवी और चंदन सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। हमें उनके खिलाफ संदेह से परे कोई आरोप साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के अनुसार, मुनमुन देवी और चंदन सिंह डंडा लेकर जा रहे थे। लेकिन पीडब्लू 2 धर्मशीला देवी ने उनकी ओर से किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य के बारे में गवाही नहीं दी है, हालांकि सूचक पीडब्लू 3 ने उन पर हमले में कुछ मामूली भूमिका का आरोप लगाया है, ऐसे सबूतों के आधार पर इन आरोपियों को

दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा, खासकर सूचक और आरोपी पक्ष के बीच पहले से चली आ रही गहरी दुश्मनी को देखते हुए।

38. उपरोक्त पांच में से दो आरोपियों को बरी किए जाने के मददेनजर, शेष आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 भी लागू नहीं होगी।

39. हालांकि, बाकी तीन आरोपियों के प्रत्यक्ष कृत्यों और पीड़ितों को लगी चोटों की प्रकृति के संबंध में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता अमरेंद्र सिंह और जयमंगल सिंह को आईपीसी की धारा 325 और 341 के तहत सही ढंग से दोषी ठहराया गया है। अपीलकर्ता कमलेश सिंह को भी आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत सही ढंग से दोषी ठहराया गया है।

40. अब सवाल यह है कि क्या दोषियों को उचित सजा दी गई है। निचली अदालत ने दोषियों/अपीलकर्ताओं की अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत लाभ दिए जाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया है और कहा है कि दोषियों को पहले ही धारा 307 और 326 आईपीसी के तहत आरोप के संबंध में संदेह का लाभ दिया जा चुका है और जिस तरह से उन्होंने पीड़ितों को चोटें पहुंचाई हैं, वह क्रूर और निर्दयी है।

41. हालांकि, इससे पहले कि हम दोषियों/अपीलकर्ताओं द्वारा अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत उन्हें लाभ प्रदान करने के संबंध में प्रस्तुत किए गए निवेदन पर विचार करें, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों की जाँच करना उचित होगा।

42. अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 कुछ श्रेणियों के अपराधियों को परिवीक्षा पर या उचित चेतावनी के बाद रिहा करने का प्रावधान करता है। अपराधियों को

जेल जीवन के हानिकारक प्रभावों के अधीन किए बिना समाज के उपयोगी और आत्मनिर्भर सदस्य के रूप में सुधार और पुनर्वास पर बढ़ते जोर को देखते हुए अधिनियम बनाया गया था। रतन लाल बनाम पंजाब राज्य में जैसा कि एआईआर 1965 एससी 444 में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यह अधिनियम दंडशास्त्र के क्षेत्र में सुधार की आधुनिक उदारवादी प्रवृत्ति की प्रगति में एक मील का पत्थर है। यह इस सिद्धांत की मान्यता का परिणाम है कि आपराधिक कानून का उद्देश्य व्यक्तिगत अपराधी को सुधारना है न कि उसे दंडित करना।

43. अरविंद मोहन सिन्हा बनाम अमूल्य कुमार बिस्वास (एआईआर 1974 एससी 1818) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम एक सुधारात्मक उपाय है और इसका उद्देश्य शौंकिया अपराधियों को वापस लाना है, जिन्हें अगर कारावास की अपमानजनक स्थिति से बचा लिया जाए तो समाज में उनका पुनर्वास किया जा सकता है। जेल की अवधि आम तौर पर अपराध के दाग को मिटाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन समाज दोषियों को जो सजा सुनाता है वह कठोर होती है। जेल की अवधि के साथ आम तौर पर जुड़ी बदनामी और दोषियों से जुड़ा सामाजिक कलंक अक्सर उपाय को बीमारी से भी बदतर बना देता है और सजा का उद्देश्य ही विफल होने का खतरा बन जाता है। विद्रोही मामलों में, सजा निवारक होनी चाहिए ताकि समान सोच वाले अन्य लोग खुद को अपराध के कैरियर में जाने के खतरों से आगाह कर सकें। लेकिन जो नौसिखिया अपराध के रास्ते पर भटक जाता है, उसे समाज के हित में सामाजिक रूप से बीमार माना जाना चाहिए। अपराध हमेशा आपराधिक प्रवृत्तियों में निहित नहीं होते हैं और उनकी उत्पत्ति भूख, अभाव और गरीबी से प्रेरित मनोवैज्ञानिक कारकों में हो सकती है। अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम अपराध करने

में पर्यावरणीय प्रभाव के महत्व को पहचानता है और एक उपाय निर्धारित करता है जिससे अपराधी को सुधारा जा सके और समाज में उसका पुनर्वास किया जा सके। सामाजिक अवज्ञा और लापरवाही का रवैया जो एक अपराधी में आता है, जो जेल की सजा के बाद यह सोचने लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है या उसे डर है कि इससे अपराध की एक और पीढ़ी पैदा हो सकती है। अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम का उद्देश्य उस रवैये को जड़ से खत्म करना है।

44. अरविंद मोहन सिन्हा मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि परिवीक्षा पर रिहा किए गए अपराधी समाज को बंधक बना सकते हैं और इसलिए समाज अपराधियों की परिवीक्षा पर रिहाई को कानून की कमजोरियों पर अपराधियों की जीत के रूप में देख सकता है। परिवीक्षा पर रिहा किए गए अपराधी को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन दंडात्मक कानूनों के अर्थ में उसे तुरंत सजा नहीं दी जाती है। न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के तहत, परिवीक्षा अवधि के दौरान सजा निलंबित कर दी जाती है। अधिनियम की धारा 4(1) में प्रावधान है कि अपराधी को "तुरंत" सजा देने के बजाय, न्यायालय उसे परिवीक्षा अवधि के दौरान "जब बुलाया जाए तो सजा प्राप्त करने" के लिए बांड भरने पर रिहा करने का निर्देश दे सकता है और इस बीच शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार का पालन करने का निर्देश दे सकता है। इस प्रकार यह केवल सीमित, यद्यपि सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण, अर्थ में है कि अधिनियम आपराधिक कानून के व्यापक और सामान्य सिद्धांत के अपवाद के रूप में कार्य करता है।

45. अधिनियम का उद्देश्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामनरेश पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एआईआर 1974 एससी 35) और जुगल किशोर प्रसाद बनाम

बिहार राज्य (एआईआर 1972 एससी 2522) में भी इंगित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम का उद्देश्य युवा अपराधियों को वयस्क उम्र के कठोर अपराधियों के साथ उनके संबंध के परिणामस्वरूप जिद्दी अपराधी में परिवर्तित होने से रोकना है, यदि युवा अपराधियों को जेल में कारावास की सजा सुनाई जाती है। उपरोक्त उद्देश्य दंडशास्त्र के क्षेत्र में वर्तमान प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिसके अनुसार व्यक्तिगत अपराधियों में सुधार लाने के प्रयास किए जाने चाहिए और प्रतिशोधात्मक न्याय का सहारा नहीं लेना चाहिए। आधुनिक आपराधिक न्यायशास्त्र यह मानता है कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता है और बहुत सारे अपराध सामाजिक-आर्थिक परिवेश का परिणाम होते हैं। हालांकि, कठोर अपराधियों के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन युवा अपराधियों को सुधारने पर काफी जोर दिया गया है, जो बहुत गंभीर अपराधों के दोषी नहीं हैं और उन्हें कठोर अपराधियों के साथ जुड़ने से रोका जाना चाहिए। यह अधिनियम उपरोक्त उद्देश्य को वैधानिक मान्यता देता है। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि युवा अपराधियों को कुछ परिस्थितियों को छोड़कर जेल नहीं भेजा जाना चाहिए।

46. अधिनियम की योजना और प्रावधानों के संबंध में, हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 1 अधिनियम के संक्षिप्त नाम, शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है जबकि धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। अधिनियम की धारा 3 से 12 अधिनियम के प्रावधानों के अनुप्रयोग के लिए न्यायालय की भूमिका से संबंधित है। धारा 13 से 16 परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका से संबंधित है। धारा 17 सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। धारा 18 कुछ अधिनियमों के संचालन की सुरक्षा से संबंधित है, और धारा 19 कुछ राज्यों में इस अधिनियम के अनुप्रयोग का प्रावधान करती है।

47. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 निम्नलिखित प्रावधान करती है:

धारा 3- न्यायालय की कुछ अपराधियों को चेतावनी के बाद रिहा करने की शक्ति - जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 379 या धारा 380 या धारा 381 या धारा 404 या धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है, या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत दो वर्ष से अधिक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय कोई अपराध करता है, और उसके खिलाफ कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं होती है और जिस न्यायालय द्वारा व्यक्ति को दोषी पाया जाता है उसकी राय है कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र शामिल है, ऐसा करना समीचीन है, तो, उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, न्यायालय उसे धारा 4 के तहत किसी भी सजा की सजा देने या अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने के बजाय, उसे उचित समय के बाद रिहा कर सकता है। चेतावनी। स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के खिलाफ पूर्व दोषसिद्धि में इस धारा या धारा 4 के तहत उसके खिलाफ दिया गया कोई पूर्व आदेश शामिल होगा।

48. इस प्रकार, अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, न्यायालय को निम्नलिखित

शर्तों को पूरा करने पर चेतावनी के बाद दोषियों को रिहा करने का अधिकार है:

- “1. अपराधी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 379, या 380 या 381 या 404 या 420 के तहत दंडनीय अपराधों या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत दो साल से अधिक कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है,
2. अपराधी को पहले से दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए,
3. न्यायालय ने अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र पर विचार करते हुए उसे चेतावनी के बाद रिहा करना उचित समझा। अधिनियम में चरित्र शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए इसे सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए,

4. न्यायालय अधिनियम की धारा 4 को लागू करते हुए उसे सजा देने या अच्छे आचरण की परीक्षा पर रिहा करने के बजाय उचित चेतावनी के बाद अपराधी को रिहा कर सकता है।"

49. अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 इस प्रकार है:-

“धारा 4- न्यायालय की कुछ अपराधियों को अच्छे आचरण की परीक्षा पर रिहा करने की शक्ति:- (1) जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है और जिस न्यायालय द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसकी राय है कि मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए, उसे अच्छे आचरण की परीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, तो उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उसे तुरंत कोई दण्ड देने के बजाय यह निर्देश दे सकता है कि उसे जमानतदारों सहित या उनके बिना बंधपत्र पर रिहा किया जाए, ताकि वह न्यायालय द्वारा निर्देशित तीन वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के दौरान बुलाए जाने पर उपस्थित होकर दण्ड प्राप्त कर सके और इस बीच शांति बनाए रखे तथा अच्छा आचरण करे:

बशर्ते कि न्यायालय किसी अपराधी को तब तक रिहा करने का निर्देश नहीं देगा, जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि अपराधी या उसका जमानतदार, यदि कोई हो, के पास कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। उस स्थान पर निवास या नियमित व्यवसाय का निश्चित स्थान जिस पर न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी के रहने की संभावना है**“धारा। 4- न्यायालय की कुछ अपराधियों को अच्छे आचरण की परीक्षा पर छोड़ने की शक्ति:-** (1) जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है और जिस न्यायालय द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र शामिल है, को ध्यान में रखते हुए उसे अच्छे आचरण की परीक्षा पर छोड़ना समीचीन है, तो उस समय लागू

किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उसे तुरंत कोई दण्ड देने के बजाय यह निर्देश दे सकता है कि उसे जमानतदारों सहित या उनके बिना बंधपत्र पर रिहा किया जाए, ताकि वह न्यायालय द्वारा निर्देशित अवधि के दौरान, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जब भी बुलाया जाए, उपस्थित हो और दण्ड प्राप्त करे, और इस बीच शांति बनाए रखे और अच्छा आचरण करे:

परन्तु न्यायालय किसी अपराधी को तब तक रिहा करने का निर्देश नहीं देगा, जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि अपराधी या उसका जमानतदार, यदि कोई हो, का कोई निश्चित स्थान है। उस स्थान पर निवास या नियमित व्यवसाय जिस पर न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी उस अवधि के दौरान रहने की संभावना रखता है जिसके लिए वह बांड में प्रवेश करता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश देने से पूर्व न्यायालय मामले के संबंध में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करेगा। "

(3) जब उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया जाता है, तो न्यायालय, यदि उसकी राय में अपराधी और जनता के हित में ऐसा करना समीचीन है, तो इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकता है, जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि अपराधी, आदेश में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, के दौरान, आदेश में नामित परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रहेगा, तथा ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में, ऐसी शर्तें लगा सकता है, जो वह अपराधी के समुचित पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझे।

(4) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश देने वाला न्यायालय, अपराधी को रिहा किए जाने से पूर्व, जमानतदारों सहित या उनके बिना, ऐसे आदेश में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने तथा निवास, मादक द्रव्यों से परहेज या किसी अन्य मामले के संबंध में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का पालन करने के लिए बंधपत्र में प्रवेश करने की अपेक्षा करेगा। जैसा कि न्यायालय विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसी अपराध की पुनरावृत्ति या अपराधियों द्वारा अन्य अपराध किए जाने से रोकने के लिए अधिरोपित करना उचित समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश देने वाला न्यायालय अपराधी को आदेश की शर्तों और निबंधनों के बारे में समझाएगा और पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति प्रत्येक अपराधी, जमानतदार, यदि कोई हो, और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराएगा।

50. इस प्रकार, धारा 4 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और अदालत जिसके द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, की राय है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसे अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, तो, उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अदालत उसे तुरंत किसी भी सजा की सजा देने के बजाय, निर्देश दे सकती है कि उसे मुचलके में प्रवेश करने पर, जमानत के साथ या बिना जमानत के रिहा किया जाए। उपस्थित हों और ऐसी अवधि के दौरान बुलाए जाने पर सजा प्राप्त करें, जो तीन साल से अधिक न हो, जैसा कि अदालत निर्देश दे और इस बीच शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने के लिए। अधिनियम में चरित्र शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए इसका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए।

51. न्यायालय अपराधी को एक निश्चित अवधि के दौरान परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहने की भी आवश्यकता बता सकता है, यदि उसे लगता है कि यह अपराधी और जनता के हित में है। यह उचित शर्तें भी लागू कर सकता है जो इस तरह के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक हो सकती हैं। यदि अदालत इस तरह की सशर्त रिहाई को निर्दिष्ट करती है, तो उसे अपराधी को शर्तों को गिनते हुए, प्रतिभू के साथ या बिना, एक बंधन में प्रवेश करने की आवश्यकता होनी चाहिए। शर्तें निवास स्थान, मादक पदार्थों से

परहेज, या किसी अन्य मामले से संबंधित हो सकती हैं क्योंकि अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए उचित समझती है कि अपराध की पुनरावृत्ति न हो।

52. अभियुक्त के दोषी पाए जाने के बाद ही परिवीक्षा पर रिहाई का आदेश पारित किया जा सकता है। अपराधी के परिवीक्षा पर रिहाई का आदेश केवल अदालत द्वारा उस पर लगाए जाने वाले दंड के प्रतिस्थापन में है।

53. अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है और इसका प्रयोग अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने अपने निर्णयों के माध्यम से बार-बार देखा है कि धारा 3 और 4 में उल्लिखित लाभ उन प्रावधानों में निर्धारित सीमाओं के अधीन हैं और अधिनियम की धारा 4 में 'हो सकता है' शब्द को 'अवश्य' के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निम्नलिखित अधिकारियों पर भरोसा किया जाता है:

- (i) रामजी मिस्सर बनाम बिहार राज्य: एआईआर 1963 एससी 1088;
- (ii) रतन लाल बनाम पंजाब राज्य; 1964 (7) एससीआर 676
- (iii) ईशर दास बनाम पंजाब राज्य: एआईआर 1972 एससी 1295;
- (iv) राम प्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एआईआर 1973 एससी 780.

54. कमांडेंट 20 बीएन आईटीबी पुलिस बनाम संजय बिंजोला में, जैसा कि 2001 सी.आर.एल.जे. 2349 (एस.सी.) में रिपोर्ट किया गया है, **सर्वोच्च न्यायालय** ने माना है कि कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 और 4 का लाभ नहीं ले सकता है और न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति, समाज पर इसके सामान्य प्रभाव और अपराधी के चरित्र आदि को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित करना होगा। **सीता राम पासवान**

और अन्य बनाम बिहार राज्य में, जैसा कि ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 3534 में रिपोर्ट किया गया है, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने माना है कि विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए, न्यायालय को मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र पर विचार करना होगा। अपराध की प्रकृति पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की गंभीरता, पीड़ित पर अपराध के प्रभाव का यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत अभियुक्त को उपलब्ध लाभ प्रावधानों में निहित सीमाओं के अधीन है और शब्द "हो सकता है" स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधी को रिहा करे या नहीं, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र और मामले की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए।

55. **नीलगिरी बार एसोसिएशन बनाम टी के महालिंगम एवं अन्य** में, जैसा कि एआईआर 1998 एससी 398 में रिपोर्ट किया गया है, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने माना है कि धारा 4 की उपधारा (1) में इस प्रकार लिखे गए शब्दों के द्वारा संसद ने इस बात पर जोर देने का ध्यान रखा है कि राहत (प्रावधान में परिकल्पित) दिए जाने से पहले न्यायालय को मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें "अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र" को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। उन कारकों पर न्यायिक विचार करने के बाद, न्यायालय को इस बारे में राय बनानी चाहिए कि क्या उस मामले में उपधारा में परिकल्पित अनुसार विशेष अभियुक्त को रिहा करना उचित होगा।

56. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी बार एसोसिएशन केस** (उपरोक्त) में आगे कहा है कि अपराध की प्रकृति पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की

गंभीरता, पीड़ितों पर अपराध का क्या प्रभाव पड़ सकता था और क्या निवारण के विचारों को नजरअंदाज किया जा सकता है आदि के बारे में यथार्थवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। अधिनियम की धारा 4 में परिकल्पित आधारों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अपराध की प्रकृति को मापने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं रखा जा सकता है।।

57. अपराधी की आयु कारावास की सजा लगाए जाने की तिथि पर गिनी जाएगी जैसा कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुदेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य (एआईआर 2008 एससी 1120) में रामजी मिस्सर बनाम बिहार राज्य (एआईआर 1963 एससी 1088) पर भरोसा करते हुए माना है।**

58. अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत अपीलीय न्यायालयों की शक्ति के संबंध में, अधिनियम की धारा 11 में प्रासंगिक प्रावधान दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

"धारा 11. अधिनियम के अंतर्गत आदेश देने के लिए सक्षम न्यायालय, अपील, पुनरीक्षण तथा अपील और पुनरीक्षण में न्यायालयों की शक्तियाँ-
 (1) संहिता या किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई आदेश किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो अपराधी का विचारण करने और उसे कारावास की सजा देने के लिए सशक्त है और उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा भी, जब मामला अपील या पुनरीक्षण में उसके समक्ष आता है।
 (2) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ धारा 3 या धारा 4 के अंतर्गत कोई आदेश अपराधी का विचारण करने वाले किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय के अलावा) द्वारा किया जाता है, वहाँ अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें पूर्व न्यायालय के दण्डों के विरुद्ध सामान्यतः अपील की जाती है।

(3) किसी भी मामले में जहाँ इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अपराध करने का दोषी पाया जाता है और जिस न्यायालय द्वारा उसे दोषी पाया जाता है, वह धारा 3 या धारा 4 के अंतर्गत उसके साथ व्यवहार करने से इनकार कर देता है और उसके विरुद्ध कारावास या कारावास की सजा सुना देता है। बिना जुर्माने के, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती या नहीं की जाती, तब संहिता या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह न्यायालय, जिसमें पूर्ववर्ती न्यायालय के दण्डों के विरुद्ध सामान्यतः अपील की जाती है, या तो स्वप्रेरणा से या दोषसिद्ध व्यक्ति या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उसे दिए गए आवेदन पर, मामले का अभिलेख मंगवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है तथा उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे।

(4) जब किसी अपराधी के संबंध में धारा 3 या धारा 4 के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, तो अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है और उसके स्थान पर ऐसे अपराधी पर विधि के अनुसार दण्ड पारित कर सकता है:

परन्तु यह कि अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में उससे अधिक दण्ड नहीं देगा, जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता था, जिसने अपराधी को दोषी पाया था।

59. रतन लाल केस (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि धारा 11 की उपधारा 1 की भाषा से यह स्पष्ट है कि मूल परीक्षण न्यायालय को प्रथम दृष्टया अधिनियम के तहत आदेश देने का अधिकार है तथा उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा भी अधिनियम के तहत आदेश दिया जा सकता है, जब मामला अपील या पुनरीक्षण में उसके समक्ष आता है।

60. सीआरपीसी की धारा 360 और अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की प्रयोज्यता के संबंध में, उपेंद्र नाथ चौधरी बनाम पटना उच्च न्यायालय (2007 सीआरआईएलजे 2913) में माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्णय से पहले बिहार राज्य में कुछ भ्रम की स्थिति थी। ट्रायल कोर्ट ने ज्यादातर सीआरपीसी की धारा 360 के तहत आगे बढ़ने की प्रवृत्ति विकसित की थी। पीसी के खिलाफ यह गलत धारणा थी कि उस धारा के प्रावधान अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के स्थानापन्न और वैकल्पिक थे। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने अधिनियम, 1958 के प्रासंगिक प्रावधानों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी प्राधिकारियों पर चर्चा करने के बाद यह माना कि संहिता की धारा 360 के प्रावधान इस राज्य में लागू नहीं होते हैं और इसलिए, अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर दोषी की रिहाई के मुद्दे को अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत निपटाया जाना चाहिए, जिसे 6-6-1959 के बिहार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत 15-6-1959 से पूरे राज्य में लागू किया गया है।

61. इस प्रकार, बिहार राज्य में अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम सीआरपीसी 1973 की धारा 360 के आवेदन को छोड़कर लागू है और न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे अपराधियों की परिवीक्षा पर रिहाई के मुद्दे से निपटने के दौरान अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों को लागू करें। हम यह भी पाते हैं कि इस अपीलीय न्यायालय के पास परिवीक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया ट्रायल कोर्ट के समान ही अधिकार क्षेत्र है।

62. अब प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता/दोषी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा ऊपर वर्णित प्रचलित कानून के आधार पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत राहत पाने के हकदार हैं।

63. इस संदर्भ में, हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 और 325 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है। इस प्रकार अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं हैं। हम यह भी पाते हैं कि 05.09.2016 को ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के समय अपीलकर्ता अमरेंद्र सिंह, जयमंगल सिंह और कमलेश सिंह क्रमशः 36 वर्ष, 40 वर्ष और 76 वर्ष के थे। वर्तमान में वे लगभग 8 वर्ष बड़े हो गए हैं और उन्होंने अपना जीवन ट्रायल के दौरान और वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान हिरासत में बिताया है। उन्हें संदेह का लाभ देते हुए धारा 307 और 326 आईपीसी के तहत आरोप से भी बरी कर दिया गया है। उनके द्वारा पहुंचाई गई कुछ चोटें भी गंभीर प्रकृति की हैं। ऐसी परिस्थितियों में, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के लाभों का विस्तार करना वांछनीय नहीं होगा। यदि सजा में संशोधन किया जाता है और दोषियों द्वारा पीड़ितों कमल नैनन सिंह और धर्मशीला देवी को मुआवजा दिया जाता है, जिन्हें दोषियों के हाथों चोटें आई हैं, तो न्याय का हित बेहतर होगा। यहां, **मारु राम बनाम भारत संघ, (1981) 1 एससीसी 107** का संदर्भ देना बहुत उपयुक्त होगा, जहां **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** की ओर से बोलते हुए प्रसिद्ध न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने निम्नलिखित कहा था जो सजा आदेश पारित करते समय न्यायालयों को मार्गदर्शन प्रदान करता है:

74.....यदि अपराध में पीड़ित को दोषी ठहराया जाता है तो अपराध विज्ञान को अपने सरोकारों के प्रमुख घटक के रूप में पीड़ित विज्ञान को शामिल करना चाहिए। वास्तव में, जब कोई हत्या या अन्य गंभीर अपराध किया जाता है तो आश्रितों या अन्य पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और नुकसान की भरपाई या चोट को ठीक करने

के लिए अपराधी की सामाजिक जिम्मेदारी दंडात्मक अभ्यास का हिस्सा है। लेकिन जेल की अवधि की लंबाई अपंग या शोकाकुल व्यक्ति के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं है और यह क्रूरता के साथ निरर्थकता है....."

64. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 और 357ए मुआवज़े से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 न्यायालय को दोषियों को उनके अपराध के पीड़ितों को मुआवज़ा देने का निर्देश देने का अधिकार देती है। धारा 357 की उपधारा 1 के तहत न्यायालय जुर्माना लगा सकता है और मुआवज़े के रूप में पीड़ितों को पूरा जुर्माना या उसका हिस्सा देने का निर्देश दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 की उपधारा 3 के तहत न्यायालय दोषी को मुआवज़ा देने का निर्देश दे सकता है, भले ही दोषियों पर जुर्माना न लगाया गया हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 की उपधारा 4 के अनुसार, अपीलीय और पुनरीक्षण न्यायालयों को भी मुआवज़े का ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार है। जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत मुआवज़ा देना पर्याप्त नहीं होता है, तो न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए का सहारा लेने का अधिकार है, ताकि वह विधिक सेवा प्राधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए के तहत बनाई गई सरकार की योजना के अनुसार पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवज़ा देने की सिफारिश कर सके। पी.सी. इस न्यायालय की खंडपीठ ने **सुनील कुमार झा बनाम बिहार राज्य (2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन पैट 960)** मामले में पीड़ितों को मुआवज़ा दिए जाने के विषय पर विस्तृत चर्चा की है, जिसमें प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और केस कानूनों का उल्लेख किया गया है, तथा निम्नलिखित निर्णय दिए गए हैं:

"105. उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों और केस कानूनों से यह स्पष्ट रूप से उभर कर आता है कि आपराधिक मुकदमा चलाने वाला

न्यायालय, मुकदमे के समापन पर, धारा 357 और धारा 357 ए दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पीड़ितों को मुआवजा देने के संबंध में तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए बाध्य है, चाहे दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या निर्वहन कुछ भी हो। ऐसा आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा तब भी पारित किया जाना चाहिए, जब पीड़ित ने मुआवजे के लिए आवेदन दायर नहीं किया हो। ऐसे आदेश में, न्यायालय को यह पता लगाना आवश्यक है कि कथित अपराध किया गया है या नहीं, और यदि किया गया है तो किए गए अपराध का पीड़ित कौन है, और यदि धारा 2 (डब्ल्यूए) दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कोई पीड़ित है, तो क्या पीड़ित धारा 357 और धारा 357 ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुआवजे का हकदार है और यदि हां, तो कितना और किससे।

106. अपीलीय और पुनरीक्षण न्यायालय अपने अंतिम निर्णयों में पीड़ितों को मुआवजा देने के संबंध में ऐसा आदेश पारित करने के लिए समान रूप से बाध्य हैं, भले ही अपील/पुनरीक्षण पीड़ित के अलावा किसी अन्य पक्ष द्वारा दायर किया गया हो, केवल शर्त यह है कि अपील या पुनरीक्षण या अपराध से उत्पन्न कोई अन्य कार्यवाही न्यायालय के समक्ष लंबित है।

107. इसके अलावा, पीड़ित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के तहत बनाई गई राज्य पीड़ित मुआवजा योजना के तहत लाभ के हकदार हैं, भले ही संबंधित अपराध योजना के लागू होने से पहले किया गया हो, यदि परीक्षण, अपील या पुनरीक्षण योजना के लागू होने पर या उसके बाद लंबित हैं।

108. अभियुक्त के दोषसिद्ध होने की स्थिति में, पीड़ित को देय मुआवजा, दोषी पर उसकी भुगतान क्षमता के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत जुर्माना अथवा अन्यथा लगाया जा सकता है और यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाला निर्देशित मुआवजा पीड़ित के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, तो न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के अंतर्गत पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत बनाए गए राज्य कोष से पीड़ित को मुआवजा देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को सिफारिश करने का अधिकार है। अभियुक्त-अपीलकर्ता के दोषमुक्त होने की स्थिति में,

न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए का सहारा लेकर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के अंतर्गत बनाई गई राज्य की पीड़ित मुआवजा योजना के अनुसार पीड़ित को मुआवजा देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को सिफारिश करे।"

65. वर्तमान मामले पर वापस आते हुए, दोनों अपीलें, तदनुसार, खारिज की जाती हैं, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, चंदन सिंह और प्रतिवादी संख्या 3 मुनमुन देवी को आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 139/2017 के तहत दोषमुक्त करने और अपीलकर्ताओं जयमंगल सिंह, अमरेंद्र सिंह और कमलेश सिंह को आपराधिक (एकल पीठ) संख्या 746/2016 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है। हालांकि, दिनांक 05.09.2016 के आरोपित सजा आदेश को संशोधित किया जाता है, जिसमें सभी अपीलकर्ताओं की कारावास की अवधि को उनके द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि तक घटा दिया जाता है, जिसमें एलडी ट्रायल कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 357(1) के तहत लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखा जाता है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 357(3) के तहत अपीलकर्ता अमरेंद्र सिंह को पीड़ित कमल नयन सिंह को 10,000/- रुपये और मृतक के पति को 10,000/- रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है। इसी प्रकार अपीलार्थी जयमंगल सिंह को भी पीड़ित कमल नयन सिंह को 10,000 रुपये तथा अन्य पीड़ित धर्मशीला देवी को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, कमलेश सिंह को कमल नयन सिंह को 5,000 रुपये तथा धर्मशीला देवी को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है। अपीलार्थियों को उक्त मुआवजा इस आदेश के एक माह के भीतर पीड़ितों को देना होगा, अन्यथा अपीलार्थियों को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा, जैसा कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने**

हरि किशन बनाम सुखवीर सिंह, (1988) 4 एससीसी 551 में माना है कि न्यायालय चूक में सजा लगाकर मुआवजे के आदेश को लागू कर सकता है।

66. चूंकि 2016 की आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 746 के अपीलार्थी जमानत पर हैं, इसलिए वे अपने जमानत बांड के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर
चंदन/शोएब -

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।